सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 150 राँची, गुरुवार

3 पौष, 1937 (श०)

24 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

26 अक्टूबर, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-408/2014 का॰-9310--उपायुक्त, राँची-सह-उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची का पत्रांक-607, दिनांक 20 जून, 2011

2. नगर विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2632, दिनांक 05 अगुस्त, 2011

3. कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का अधिसूचना संख्या-3761, दिनांक 07 जुलाई, 2011; पत्रांक-4823, दिनांक 16 अगस्त, 2011; अधिसूचना संख्या-5478, दिनांक 13 सितंबर, 2011; पत्रांक-5918, दिनांक 21 सितंबर, 2011; अधिसूचना संख्या-9843, दिनांक 25 अगस्त, 2012; संकल्प संख्या-11912, दिनांक 18 अक्तूबर, 2012; पत्रांक-6057, दिनांक 10 जून, 2014; पत्रांक-4003, दिनांक 30 अप्रैल, 2015

4. श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-33, दिनांक 12 फरवरी, 2014

5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-2126, दिनांक 03 सितंबर, 2015

श्री मनौवर आलम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-794/03), तत्कालीन निगरानी पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को सी0बी0आई0, राँची के वाद संख्या-RC-03(A)/2011-R में दिनांक 15 जून, 2011 को गिरफ्तार किये जाने एवं दिनांक 16.06.2011 से न्यायिक हिरासत में रखे जाने संबंधी प्रतिवेदन उपायुक्त, राँची-सह-उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पत्रांक-607, दिनांक 20 जून, 2011 द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त गिरफ्तारी के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3761, दिनांक 07 जुलाई, 2011 द्वारा श्री आलम को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत् दिनांक 15 जून, 2011 से न्यायिक हिरासत की पूरी अवधि तक के लिए निलंबित किया गया।

नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2632, दिनांक 05 अगस्त, 2011 के माध्यम से प्राप्त CBI, ACB, राँची का पत्रांक-4211, दिनांक 03 अगस्त, 2011 द्वारा श्री आलम के विरूद्ध उक्त कांड में अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया। विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-124/जे0, दिनांक 16 अगस्त, 2011 द्वारा श्री आलम के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसे विभागीय पत्रांक-4823, दिनांक 16 अगस्त, 2011 द्वारा CBI, ACB राँची को भेज दी गयी।

विभागीय अधिसूचना संख्या-5478, दिनांक 13 सितंबर, 2011 द्वारा इनके झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-100 के अन्तर्गत न्यायिक हिरासत से मुक्त होने की तिथि 16 अगस्त, 2011 से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-5918, दिनांक 21 सितंबर, 2011 द्वारा उपायुक्त, राँची-सह-उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची से श्री आलम के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

CBI, ACB राँची के पत्रांक-546, दिनांक 07 जून, 2012 द्वारा सूचित किया गया कि विषयगत कांड में श्री आलम के विरूद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। चूँकि सदृश्य मामले में श्री शंकर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड तथा श्री अजय शेखर, तत्कालीन सम्पदा पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को निलंबन मुक्त किया गया था। अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-9843, दिनांक 25 अगस्त, 2012 द्वारा श्री आलम को भी निलंबन मुक्त किया गया तथा उपायुक्त, राँची से प्रपत्र- 'क' अप्राप्त रहने की दशा में विभाग द्वारा प्रपत्र- 'क' गठित किया गया। प्रपत्र- 'क' में अंकित आरोपों का विवरण निम्नवत् है:-

आरोप सं0-1- (क) निगरानी पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पद पर कार्यावधि में श्री मनौवर आलम, झा0प्र0से0 से भूमि के स्वामित्व पर मंतव्य अपेक्षित था। बिल्डर मेसर्स एशलेषा कार्पोरेशन लि0, राँची द्वारा राँची के प्लॉट नं0-1736 एवं 1735 की भूमि पर होटल एवं कमर्शियल आपार्टमेंट के निर्माण हेतु प्लान नं0-BC-1103/08 राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची में समर्पित किया गया, जिसके प्रसंग में पूर्व से UC Case No-351/06 लंबित था। राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से परामर्श दिया गया था कि बिल्डर को केवल प्लॉट नं0-1736 की भूमि पर निर्माण कार्य हेतु ही प्लान पास किया जा सकता है। प्लॉट नं0-1735 पर निर्माण हेतु प्लान पास नहीं किया जा सकता। परन्तु श्री आलम द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत अवैध रूप से प्लॉट नं0-1735 का भी लाभ बिल्डर को पहुँचाया गया। इनके द्वारा बिल्डर को अवैध लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्लॉट नं0-1736 एवं 1735 की भूमि पर बिल्डर का स्वामित्व होने का प्रतिवेदन दिया गया।

(ख)- प्लान पर केवल प्लॉट नं0-1736 का ही उल्लेख किया गया था। लेकिन अग्रसारण पत्र में अवैध रूप से प्लॉट नं-1735 का भी उल्लेख कर दिया गया। श्री आलम द्वारा प्लान नं0-BC-1103/08 एवं गलत अग्रसारण पत्र को हस्ताक्षरित किया गया। फलतः श्री आलम एवं अन्य सरकारी सेवकों के सहयोग से बिल्डर मेसर्स एशलेषा

कार्पोरेशन लि0, राँची द्वारा अवैध रूप से प्लॉट नं0-1735 की भूमि को भी निर्माण हेतु सम्मिलित कर लिया गया।

उक्त प्रपत्र- 'क' पर सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-11912, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री प्रसाद के पत्रांक-33, दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि आरोप संख्या-1(क) पर आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण विचारण योग्य माना जा सकता है तथा आरोप संख्या-1(ख) पर संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्नवत् मंतव्य दिया गया है:-

"अग्रसारण पत्र ज्ञापांक 336, दिनांक 01 अप्रैल, 2010, जो श्री आलम द्वारा हस्ताक्षरित है, में प्लॉट सं॰ 1736 के साथ 1735 को भी प्रविष्टि किए जाने संबंधी आरोप को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आरोप श्री तथागत वर्धन, पुलिस निरीक्षक, सी0बी0आई0, ए0सी0बी0, राँची द्वारा श्री बलिराम सिंह, कनीय अभियंता, आर0आर0डी0ए0; श्री प्रकाश चन्द्र विरूआ, कार्यपालक अभियंता, आर0आर0डी0ए0 तथा श्री महेश्वर पुरन, कनीय अभियंता, आर0आर0डी0ए0 के रेखांकित अंश से समर्थित है। स्वयं श्री आलम ने भी इस संबंध में बिना जाँच किए हस्ताक्षर करने की अपनी गलती स्वीकार की है। लेकिन अपने अंतिम बचाव बयान में यह कहकर कि "1735 एवं 1736 अगल बगल के प्लॉट हैं तथा प्लॉट सं॰ 1735 नगरपालिका सड़क के रूप में नगर-निगम द्वारा दावा किया गया है। इस परिस्थिति में उक्त प्लॉट सं॰ 1735 का उल्लेख इस कारण से भी आवश्यक था कि उक्त प्लॉट का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जाय एवं इस आशय की हिदायत प्रसंगाधीन पत्र (ज्ञापांक 336, दिनांक 01 अप्रैल, 2010) में अंकित मुख्य शर्त सं॰ 20 से 25 निहित है।"- वे यह संकेत दे जाते हैं कि 1736 के साथ 1735 प्लॉट का उल्लेख कोई भूल नहीं थी, बल्कि इसका उल्लेख उचित था। इस प्रकार भवन निर्माण संबंधी प्लान की स्वीकृति केवल 1736 प्लॉट के लिए ही दिए जाने

के बावजूद अग्रसारण पत्र में 1736 प्लॉट के साथ-साथ 1735 प्लॉट का उल्लेख किए जाने का आरोप श्री आलम पर प्रमाणित प्रतीत होता है, क्योंकि इस तथ्य को नजरअंदाज कर अग्रसारण पत्र हस्ताक्षरित किए जाने की बात स्वयं उनके ही बयान में सन्निहित है और चूँकि प्लॉट संख्या 1735 पर बिल्डर के स्वामित्व का मामला लंबे समय से विवादित था, जिसके लिए विशिष्ट विधिक अभिमत भी प्राप्त किया गया था; इसका उल्लेख भूलवश होने की बात तर्कसंगत नहीं लगती। साथ ही, इस प्लॉट के उल्लेख का लाभ बिल्डर द्वारा लिया गया। इसकी पुष्टि अभियंताओं के निरीक्षी दल के मेमोरेंडम दिनांक 03 जून, 2011 के उस अंश से हो जाती है, जहाँ यह कहा गया है कि For parking the other plot No. 1735 is being used adjacent to the plot No. 1736. ”

श्री आलम के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोपों को प्रमाणित माना गया। श्री आलम का उक्त कृत्य सरकार के हित के प्रतिकूल होने के साथ-साथ सरकार के प्रति इनकी निष्ठा पर भी प्रश्न चिह्न लगाता है। ऐसा आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। ऐसे सरकारी सेवक को सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(6) के तहत् श्री मनौवर आलम को राज्य सरकार की सेवा से हटाने सम्बन्धी दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-6057, दिनांक 10 जून, 2014 द्वारा श्री आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री आलम के पत्रांक-313, दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समीक्षोपरान्त, असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(6) के तहत् श्री आलम को राज्य सरकार की सेवा से हटाने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-4003, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा उक्त दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति/असहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में आयोग के पत्रांक-2126, दिनांक 3 सितंबर, 2015 द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी।

दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री आलम के विरूद्ध राज्य सरकार की सेवा से हटाने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अतः असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(6) के तहत् श्री आलम को राज्य सरकार की सेवा से हटाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनौवर आलम एवं अन्य को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 150—50।